तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 91/2023 (2023/320) अनवान अमिया पटेल बनाम भूराराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.2026	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 6.0946 हैक्टेयर अर्थात 56 बीघा 04 बिस्वा भूमि वाके ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर में आयी हुई है। जिस भूमि में प्रार्थीनी का 1/6 हिस्सा निहित है, जिसका इन्द्राज भी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में किया हुआ है एवं प्रार्थीनी अपने हिस्से अनुसार उपरोक्त भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है। जिसका प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के मध्य आज दिनांक तक विधिवत रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हो रखा है एवं वादग्रस्त भूमि आज भी प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की संयुक्त अविभाजित खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरवाया जावे कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 6.0946 हैक्टेयर अर्थात 56 बीघा 04 भूमि वाके ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी का विधिवत रूप से बंटवाड़ा करवाये बिना आगे अन्य व्यक्तियों को बैचान, हस्तानान्तरण तथा अन्य व्ययन नही करे एंव वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे एवं ना ही वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करें तथा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करने का निवेदन किया है। चुंकी मूल वाद संख्या 104/2023 (2023/319) अनवान अमिया पटेल बनाम भूराराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं मूल वाद संख्या 52/2023 (2023/176) अनवान भेराराम बनाम भेराराम वगैरा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दोनो वाद में वादी एवं प्रतिवादी एक ही होने से एवं एक ही खसरे से होने से दोनो वाद में एक ही दिनांक 20.01.2026 को प्राथमिक डिक्री आदेश मय डिक्री पर्चा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र को चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। 212 के तीनों बिन्दु प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं एवं यथास्थिति बाबत इतने समय तक स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते परिवर्तन बाबत विषय न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं हुआ है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	